बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक– 24/11/2026

संख्या–21 / बी०पी०एस०सी०–12 / 2011, सा०प्र०–21381/ बिहार के राज्यपाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद–316 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, भा०प्र०से० (बी एचः 1992) को, उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (दिनांक 28.11.2026) के पश्चात् दिनांक–29.11.2026 के प्रभाव से बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद–316(2) के अनुसार इनकी कार्यावधि उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिनांक–29.11.2026 के प्रभाव से या पदभार ग्रहण की तिथि से 06(छः) वर्ष या 62(बासठ) वर्ष की उम्र सीमा, में से जो भी पहले हो, तक होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24/11/2026
(पंकज कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–21 / बी०पी०एस०सी०–12 / 2011 सा०प्र०–21381 पटना–15, दिनांक– 24/11/2026

प्रतिलिपिः–माननीय राज्यपाल के सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी / श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, भा०प्र०से० (1992), अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना / सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सचिव के निजी सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/2026
सरकार के प्रधान सचिव